न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 586/2024		
राज्य	**बनाम**	लवकेश

नाम साक्षीः राधा भाष्कर पत्नी राजीव कुमार	अपराध संख्या-336/2023
उम्रः लगभग 45 वर्ष, पेशाः गृहिणी	धारा-304 भादवि
पता साक्षीः ग्राम चाँदापुर, थाना भोगनीपुर, जिला-कानपुर देहात	थाना-भोगनीपुर, कानपुर देहात।

दिनांकः-02.04.2026

मैं **साक्षीः राधा भाष्कर पत्नी राजीव कुमार, उम्रः लगभग 45 वर्ष, पेशाः गृहिणी, पता साक्षीः ग्राम चाँदापुर, थाना भोगनीपुर, जिला-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि......

1. घटना दिनांक 20.09.2024 की रात लगभग साढ़े दस बजे की है। मेरा व लवकेश का घर आसपास ही है। घटना के समय शोर मचा था। चिल्लाने की आवाज सुनकर हमलोग वहाँ पहुँचे। पुखरायाँ सीएचसी ले गये थे। वहाँ से हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। हैलट अस्पताल देखने में जाती रही। जब वो गिरी थी तब वो बोल रही थी। डिस्चार्ज होने के बाद वह लवकेश के घर आयी थी।

2. अच्छी भली थी। खाती-पीती रही फिर अचानक तबियत खराब हो गई। तबियत खराब होने पर फिर सीएचसी पुखरायाँ ले गये थे। वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई।

3. लड़की का पिता दो दिन हैलट में आया था।

HANS PRAKASH DIXIT

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियोजन

4. लवकेश का घर व मेरा घर अगल-बगल है। लवकेश के माता-पिता, भाई-बहन एक साथ रहते हैं। लवकेश की पत्नी का नाम मालती देवी है।

5. दिनांक 20.09.2023 की रात साढ़े दस बजे मैं अपने घर पर थी। लवकेश व उसके माता-पिता व भाई-बहन भी घर पर थे। छत से गिरने से मालती की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। जब मैं मौके पर पहुँची हूँ तब मालती नीचे गिरी हुई थी। लवकेश का परिवार भी मौके पर मौजूद था। मैं शोर सुनकर लवकेश के घर पहुँची थी।

6. यह कहना सही है कि मैंने मालती देवी को गिरते हुए नहीं देखा।

7. मुझे नहीं मालूम है कि मालती देवी कैसे गिरी है।

8. मुझे नहीं मालूम है कि मालती देवी को छत से किसने धक्का दिया था।

9. यह कहना गलत है कि अभियुक्त लवकेश से मेरे परिवार जैसे संबंध हैं जिस कारण मैं आज झूठी गवाही दे रही हूँ।

10. यह कहना सही है कि लवकेश के घर से सूचना प्राप्त होने पर मैं आज न्यायालय में गवाही दे रही हूँ।

11. यह भी कहना सही है कि आज न्यायालय में बयान देने से पूर्व मेरे द्वारा आज से पूर्व कभी भी किसी अधिकारी को व पुलिस को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT